# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : 14/2020

–: वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. खेताराम पुत्र हरदीनराम
   जाति सुथार निवासी खारिया खंगार
   तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

1 संतोष पत्नी भंवरलाल
  जाति कुम्हार निवासी खांगटा
2 जमालदीन पुत्र उमरदीन
  जाति तेली निवासी खांगटा
3 रहमत पत्नी सतार खां
  जाति तेली निवासी साथीन
4 जफरूदीन पुत्र इस्माईल
  जाति तेली
5 रामूराम पुत्र हरसुखराम
  जाति कुम्हार
6 बाबूलाल पुत्र परसाराम
7 कमुड़ी पत्नी परसाराम
8 लीला पुत्री परसाराम
9 आयचूकी पुत्री परसाराम
10 सुभाष पुत्र उदाराम
11 मुकेश पुत्र उदाराम
12 सुनिल पुत्र उदाराम
13 रामभरोस पुत्र उदाराम
14 कंचन पुत्री उदाराम
15 सुवा पुत्री उदाराम
16 पपूदेवी पत्नी उदाराम
17 महेन्द्र पुत्र देवाराम
18 दिनेश पुत्र देवाराम
19 रेखा पुत्री देवाराम
20 काजू पुत्री देवाराम
21 सुमन पुत्री देवाराम
22 भवंरी पत्नी देवाराम
23 किरण पुत्री देवाराम फौत के कायम मुकाम
   23/1 जितेन्द्र पुत्र किरण
   23/2 राजेश पुत्र किरण
   23/3 राहुल पुत्र किरण
   23/4 राकेश पुत्र किरण
   23/5 कौशल्य पुत्री किरण
   जातियान नाई निवासीगण खारिया खंगार तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
24 तहसीलदार भोपालगढ

**राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थित:–

1. श्री गुमानराम चौधरी, रामकिशोर चौधरी, [illegible] चौधरी अधिवक्ता, वादीगण।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 से 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

–:: निर्णय ::–                                                  दिनॉकः– 30/07/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम खारिया खंगार तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 149 जिसके खसरा नं. 1909 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि स्थित है, उक्त आराजी को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है जिसके सबूत में जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 तक मय नक्शा संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 23 की संयुक्त खातेदारी हकूक की कब्जा सुद भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 23 साथ साथ संयुक्त रूप से काबिज है जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 23 के मध्य आज दिन तक किसी प्रकार का बंटवाड़ा किया हुआ नही है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 23 संयुक्त रूप से सहूलियत अनुसार काबिज है। प्रतिवादी संख्या 01 से 23 ने अविभाजित आराजी को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने की नीयत से दिखाने लगे, इस पर वादी ने मना किया कि वादग्रस्त आराजी अभी तक अविभाजित है इसलिये पहले वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाडा करा लो उसके बाद प्रतिवादी संख्या 01 से 23 अपने हक हिस्सा व बंट में आयी जमीन बेचना, इस पर प्रतिवादी संख्या 01 से 23 अत्यधिक नाराज हो गये तथा वादग्रस्त आराजी को बेचान करने की धमकी दी और वादी को जमीन से बेदखल करने की धमकी दी जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। अतः वादी ने वादग्रस्त आराजी का माप एवं सीमांकन के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करने एवं वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 23 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 से 23 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 09.12.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं उपस्थित हुयी जिसके आदेशिका पर अंगुष्ठ निशान करवाये गये एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि शामिल मिसल की गयी। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नही करने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर जवाब बंद किया गया। वादी वकील की ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 04 जफरूदीन पुत्र उमरदीन के स्थान पर जफरूदीन पुत्र इस्माईल करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। वादी वकील की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 06 नियम-17 सीपीसी बाद सुनवायी स्वीकार किया गया तथा वादी वकील की ओर से संशोधित वाद शीर्षक पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 जफरूदीन पुत्र इस्माईल जाति तेली निवासी खारिया खंगार तहसील भोपालगढ़ को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं सम्मन तामिलसुदा प्राप्त होने के उपरान्त एवं न्यायालय में बार–बार आवाज लगाये जाने के बावजूद उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 04 जफरूदीन पुत्र इस्माईल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर एक्सपार्टी किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नही होने-से तनकीयात की आवश्यकता नही है। वादी वकील द्वारा साक्ष्य वादी पेश नही करने हेतु निवेदन करने के उपरान्त एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने के कारण साक्ष्य उभयपक्ष बंद किया गया। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वस्तुतः जमाबन्दी संख्या 2060–63 का अवलोकन किया गया जिसमें राजस्व ग्राम ग्राम खारिया खंगार तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 149 जिसके खसरा नं. 1909 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि स्थित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 23 की संयुक्त खाते[illegible] है को गहनता से अवलोकन किया गया। जिसका माफिक राजस्व रेकर्ड वादी एवं प्रतिवादी[illegible] का [illegible] बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिकी की जाकर बंटवाडा करवाया जाना उ[illegible]मझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के दिनॉक [illegible] को इस आशय की सादिर की गई थी कि राजस्व ग्राम ग्राम खारिया खंगा[illegible] में भूमि खाता संख्या 149 जिसके खसरा नं. 1909 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि स्थित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 23 की संयुक्त खातेदारी हकूक की कब्जा सुद भूमि है का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, भोपालगढ़ को आदेशित किया गया। तहसीलदार, भोपालगढ़ ने अपने पत्र क्रमांकः– राजस्व/प्राथ.डिक्री/2021/2159 दिनांक 24.02.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

वादी वकील की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी वकील ने माफिक बंटवाड़ा/विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, वादी वकील एवं डिक्री की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा हम माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय-नजरी नक्शा वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

## –:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व ग्राम ग्राम खारिया खंगार तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 149 जिसके खसरा नं. 1909 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि स्थित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 23 की संयुक्त खातेदारी हकूक की कब्जा सुद भूमि है का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

| क्र. सं. | खातेदार | खसरा नं. | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खेताराम पुत्र हरदीनराम जाति सुथार निवासी खारिया खंगार तहसील भोपलागढ़ जिला जोधपुर (वादी) | 1909 | 01–13–15 बीघा | बारानी तृतीय | 0.35 |
| योग | | 01 | 01–13–15 बीघा | | 0.35 |
| 2 | संतोष पत्नी भंवरलाल हिस्सा 240/1425 जाति कुम्हार निवासी खांगटा, जफरूदीन पि. इस्माइल खां हि. 149/1425 जाति तेली निवासी खारिया खंगार, जमालदीन पुत्र उमरदीन हि. 75/1425 जाति तेली निवासी खांगटा, रहमत पत्नी सतारखां हि. 75/1425 जाति तेली निवासी साथीन, रामूराम पुत्र हरसुखराम हि. 37/1425 जाति कुम्हार सा.देह, बाबूलाल पुत्र परसाराम, लीला आयचुकी पुत्रियां परसाराम, कमुडी पत्नी परसाराम हि. 225/1425 जाति नाई सा.देह, सुभाष सुनिल मुकेश रामभरोस पि. उदाराम कंचन सुवा पुत्रियां उदाराम पपुदेवी पत्नी उदाराम हि. 488/1425 जाति नाई सा.देह, महेन्द्र दिनेश पि. देवाराम किरण (किरण फौत के कायम मुकाम– जितेन्द्र राजेश राहुल राकेश पुत्र किरण कौशल्य पुत्री किरण) रेखा काजू सुमन पुत्रियां देवाराम भंवरी पत्नी देवाराम हि. 136/1425 जाति नाई सा.देह (प्रतिवादीगण) | 1909/1<br>1909/2 | 02–17 बीघा<br>0–14–05 बीघा | बारानी तृतीय | –<br>0.80 |
| योग | | 02 | 03–11–05 बीघा | | 0.80 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनाँक 30/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

**अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई**
**(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)**

**अज अदालत** :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर
**बईजलास** :–श्री जवाहर राम चौधरी,आर0ए0एस0

–: वादी :–

1. खेताराम पुत्र हरदीनराम
जाति सुथार निवासी खारिया खंगार
तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1 संतोष पत्नी भंवरलाल
जाति कुम्हार निवासी खांगटा
2 जमालदीन पुत्र उमरदीन
जाति तेली निवासी खांगटा
3 रहमत पत्नी सतार खां
जाति तेली निवासी साथीन
4 जफरूदीन पुत्र इस्माईल
जाति तेली
5 रामूराम पुत्र हरसुखराम
जाति कुम्हार
6 बाबूलाल पुत्र परसाराम
7 कमुड़ी पत्नी परसाराम
8 लीला पुत्री परसाराम
9 आयचूकी पुत्री परसाराम
10 सुभाष पुत्र उदाराम
11 मुकेश पुत्र उदाराम
12 सुनिल पुत्र उदाराम
13 रामभरोस पुत्र उदाराम
14 कंचन पुत्री उदाराम
15 सुवा पुत्री उदाराम
16 पपूदेवी पत्नी उदाराम
17 महेन्द्र पुत्र देवाराम
18 दिनेश पुत्र देवाराम
19 रेखा पुत्री देवाराम
20 काजू पुत्री देवाराम
21 सुमन पुत्री देवाराम
22 भवंरी पत्नी देवाराम
23 किरण पुत्री देवाराम फौत के कायम मुकाम
23/1 जितेन्द्र पुत्र किरण
23/2 राजेश पुत्र किरण
23/3 राहुल पुत्र किरण
23/4 राकेश पुत्र किरण
23/5 कौशल्य पुत्री किरण
जातियान नाई निवासीगण खारिया खंगार तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
24 तहसीलदार भोपालगढ

**राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

मु0न0 :रा0वा0 स0: 14/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ........ [illegible] व हाजरी श्री गुमानराम चौधरी, रामकिशोर चौधरी, रामदयाल चौधरी अधि[illegible] वादी [illegible] होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व राजस्व ग्राम ग्राम खारिया ख[illegible] तहसील [illegible] सरहद में भूमि खाता संख्या 149 जिसके खसरा नं. 1909 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि स्थित है जो वादी व

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

प्रतिवादी संख्या 01 से 23 की संयुक्त खातेदारी हकूक की कब्जा सुद भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

| क्र. सं. | खातेदार | खसरा नं. | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खेताराम पुत्र हरदीनराम जाति सुथार निवासी खारिया खंगार तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर (वादी) | 1909 | 01–13–15 बीघा | बारानी तृतीय | 0.35 |
| | योग | 01 | 01–13–15 बीघा | | 0.35 |
| 2 | संतोष पत्नी भंवरलाल हिस्सा 240/1425 जाति कुम्हार निवासी खांगटा, जफरूदीन पि. इस्माइल खां हि. 149/1425 जाति तेली निवासी खारिया खंगार, जमालदीन पुत्र उमरदीन हि. 75/1425 जाति तेली निवासी खांगटा, रहमत पत्नी सतारखां हि. 75/1425 जाति तेली निवासी साथीन, रामूराम पुत्र हरसुखराम हि. 37/1425 जाति कुम्हार सा.देह, बाबूलाल पुत्र परसाराम, लीला आयचुकी पुत्रियां परसाराम, कमुडी पत्नी परसाराम हि. 225/1425 जाति नाई सा.देह, सुभाष सुनिल मुकेश रामभरोस पि. उदाराम कंचन सुवा पुत्रियां उदाराम पपुदेवी पत्नी उदाराम हि. 488/1425 जाति नाई सा.देह, महेन्द्र दिनेश पि. देवाराम किरण (किरण फौत के कायम मुकाम– जितेन्द्र राजेश राहुल राकेश पुत्र किरण कौशल्य पुत्री किरण) रेखा काजू सुमन पुत्रियां देवाराम भंवरी पत्नी देवाराम हि. 136/1425 जाति नाई सा.देह (प्रतिवादीगण) | 1909/1<br>1909/2 | 02–17 बीघा<br>0–14–05 बीघा | बारानी तृतीय | –<br>0.80 |
| | योग | 02 | 03–11–05 बीघा | | 0.80 |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील ज़ाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत ... जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला-जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

| मुद्दई | रूपये | पैसे |
|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमीश्नर | | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | | |
| मिजानः– | | |

| मुद्धायलाह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|
| स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प अर्जी | | |
| महनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमीश्नर | | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | | |
| मुत्फरिक | | |
| मिजानः– | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested